न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1060 सन 2026
CNR. No.UPSP010032472026
अनीस पुत्र रफीदीन, निवासी ग्राम नूनाबडी, थाना बडगांव, जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**
मु.अ.सं. 56/2026
धारा 190,191(2),191(3),333,115(2),352, 118(1),109(1),351(3) बी.एन.एस
थाना बडगांव, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

24.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **अनीस** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 07.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ तैय्यब पुत्र भूरा का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि दिनांक 05.03.2026 वादी का चाचा खेत में गन्ने का बीज ट्रेक्टर ट्राली में लेकर मैन रास्ते से दूसरे खेत में जा रह थे, तो रास्ते में सुशील, सकील, नफीस, अनीश, इरफान, मसरूर एवं मनव्वर ने रास्ते में लकडी की बल्ली लगा कर रास्ता रोक दिया। जब वादी के चाचा ने बल्ली हटाने के लिए कहा तो इन लोगो ने गाली गलौच करते हुए, रास्ता खोलने से मना कर दिया, और मारपीट करने पर उतारू हो गए, जिस पर वादी का चाचा अपने घर की तरफ दौडे तो उपरोक्त विपक्षीगण ने घर के अन्दर तेज धार हथियारों लेकर जरीफ को घर लिया। इसी बीच वादी के ताउ के लडके तसव्वर, दानिश व वसीम बीच बचाव कराने आए तो सुशील ने धारदार हथियार बलकटी से तसव्वर की गर्दन पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया, जिससे उसका कान कट गया। अन्य विपक्षीगण ने वसीम, दानिश व जरीफ पर लाठी व डंडो से वार किया। मौके पर गांव के युनुस व इरफार आए, और उन्हें बचाया। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर गए। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वे निर्दोष हैं, उसे इस मामले में रंजिश के आधार पर झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी का उक्त घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब व वास्ता नही है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। कथित घटना में दर्शित चोटे प्राणघातक नही है। प्रार्थी एक बहुत ही गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है, जो मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी पूर्व सजायाफता नही है, और न ही प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी दिनांक 07.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं समस्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर, घातक हथियारों से सुसज्जित होकर वादी के चाचा के घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए, वादी के चाचा जरीफ एवं ताउ के लडके तसव्वर, दानिश व वसीम को जान से मारने की नीयत से मारपीट कर उन्हें प्राणघातक चोटे कारित कर जान से मारने की धमकी दिए जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। केस डायरी पर उपलब्ध आहतो की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत दानिश के दांये एंकल ज्वाईंट पर कन्टयूजन की एक चोट आना व उक्त चोट साधारण प्रकृति की होना, आहत वसीम की बांयी कोहनी के ज्वाईंट पर एबरेडिड कन्टयूजन की एक चोट व उक्त चोट को जेरे निगरानी रखते हुए, एक्सरे की सलाह दिया जाना तथा आहत की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत की उक्त चोट में अस्थिभंग न पाये जाने के कारण उक्त चोट को साधारण प्रकृति होना, आहत जरीफ की गर्दन पर कन्टयूजन की एक चोट आना व उक्त चोट साधारण प्रकृति की होना, आहत तसव्वर के कान पिन्ना कटकर अलग होना व उक्त चोट गम्भीर प्रकृति की होना उल्लेखित है। अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि वादी पक्ष के लोगो द्वारा अभियुक्तगण के पक्ष के साथ मारपीट कर उन्हें गम्भीर उपहति कारित की गयी है। अपने कथन के समर्थन में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चिक एफ0आई0आर0, जिसमें अभियुक्त पक्ष के हुसनो, सकील, सुशील एवं नफीस को गम्भीर चोटे आना अभिकथित है, की छायाप्रति दाखिल की गयी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 07.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अनीस** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–24.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891